विचार बिन्दु

आशा प्रयत्नशील मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ती। –गेटे

एक देश-एक चुनाव की विधि प्रक्रिया संवैधानिक है

चुनाव कराने के सम्पूर्ण अधिकार चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 में दिये गये हैं। चुनाव संविधान व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् कराये जाते हैं। देश में चुनाव 1951-52, 1957, 1962 व 1967 में चुनाव उक्त प्रावधानों के अनुसार होते रहे, बाद में हुये चुनावों में यह देखा गया कि व्यवहार में चुनाव चाहे वे लोकसभा के हों अथवा असेम्बली के हों 5 वर्ष की अवधि में नहीं किये गये। सन् 2014 से पूर्व एक राष्ट्र एक चुनाव के मूल मंत्र की पालना चुनाव आयोग करता रहा। अनियमितता की ओर ध्यान आकर्षित किये जाने पर 2018 में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' नियम पुनः लागू करने का सुझाव सन् 2015 में दिया। लॉ कमीशन की राय ली गई। यह राय दी गई कि संविधान व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधित कर ऐसा किया जाना संभव है। इस हेतु केन्द्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। कमेटी ने अपने सुझाव दिये।

विपक्ष और पक्ष दोनों यह तो मानते हैं कि एक देश एक चुनाव कराने पर कई कठिनाईयां आयेंगी और देश को नये मार्ग पर चलना भी है अतः कठिनाईयों के प्रश्नों को सुलझाना भी होगा। सभी पार्टियां मानती हैं कि चुनाव बहुत खर्चीले हो गये हैं, राज्यों में विकास के कार्य रूक जाते हैं, देश व नेतागण पूरे वर्ष में ही चुनावों में उलझे दिखाई देते हैं।

विपक्ष का आरोप है कि एक देश-एक चुनाव भारत के संघीय ढांचे अथवा Basic Structure (मूल संरचना) पर आक्रमण है अर्थात् संवैधानिक नहीं है।

संसद में 'एक देश-एक चुनाव' बिल प्रस्तुत हुआ है और इस पर विचार करने के हेतु JPC (जोइन्ट पार्लियामेन्टरी समिति) का गढ़न किया गया है, जिसके अध्यक्ष पी पी चौधरी हैं और कई अन्य जानी मानी हस्तियां हैं, जिनमें मनीष तिवारी, पी विल्सन, रामदीप सुरजेवाल, अनिल बनूली, प्रियंका गांधी वाड्रा, सम्मित पात्रा, भर्तरूहरि मेहताब आदि है। इस कमेटी के समक्ष देश के न्यायाधीशों, एडवोकेट्स, विद्वानों तथा जन प्रतिनिधियों को और आमजन को अपने विचार रखने व सुझाव देने को आमंत्रित किया गया है।

दिनांक 11 जुलाई, 2025 को जेपीसी की मीटिंग में देश के दो यशस्वी पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ व जस्टिस जे एस खेहर ने अपने-अपने प्रजेन्टेशन दिये हैं। दोनों ही देश के महान विधि वेत्ताओं ने स्पष्ट किया कि एक साथ चुनाव कराने का कानून पर विचार किया जा रहा है, वह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता। दोनों ही विद्वान न्यायाधीशों का मत था कि यद्यपि चुनाव कानूनों के मामले में संविधान चुनाव आयोग को चुनाव कराने के पूर्व अधिकार देता है, किन्तु उन्हें अनियन्त्रित अधिकार भी नहीं दिये जा सकते। दोनों न्यायाधीशों ने कुछ सुझाव भी दिये। उनका कहना था कि अनियंत्रित अधिकार लोकतंत्र को असंतुलित कर देता है।

जेपीसी को कई सुझाव और भी प्राप्त हुये हैं और भविष्य में प्राप्त होते रहेंगे। जेपीसी के अध्यक्ष पी पी चौधरी ने कहा हमारी कमेटी सभी प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी और संविधान संशोधन के हेतु महत्वपूर्ण सिफारिश करेंगे। हमारा प्रयत्न होगा कि कानून ऐसा बन पाये कि भविष्य में कोई शंका नहीं रहे। काम कठिन है किन्तु इसे निष्ठा के साथ पूर्ण करने का भरसक प्रयास होगा।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड़ ने लिखित में अपनी राय दी और उपस्थित होकर अपनी राय रखी। उन्होंने सहजता से यह भी स्वीकार किया कि बिल में कुछ ग्रे एरिया है, उस पर विचार होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने प्रश्न किया कि आपातकाल में चुनावों के बाबत क्या प्रक्रिया होगी? यह भी प्रश्न उठाया कि यदि किसी विधानसभा का शेष काल कुछ ही महिनों का रहता है तो क्या उस अवधि के लिये ही चुनाव कराये जावेंगे?

हमें यह नहीं भूलना चाहिये भारत में यशस्वी न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं, एडवोकेट्स व जूरिष्टों की कमी नहीं है, जब वे देश की सेवा में हैं तो फिर हम प्रत्येक विपत्ति, आपदा व समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। देश के ये लोग चाहे पक्ष के हों अथवा विपक्ष के, देशहित में देश के विकास और लोगों के उज्जवल भविष्य के लिये एक रहे हैं और एक रहेंगे। भारत, देश का नाम है जिसका अर्थ ही धर्म प्रधान है और धर्म को आचरण की शुद्धता के रूप में समझा गया है। यदि हम सब 141 करोड़ भारतीय संविधान में दिये गये मूल कर्त्तव्यों की पालना अनेकान्त भाव शुद्ध मन वचन और कर्म से करें तो देश को स्वर्ग बना सकते हैं।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश खेहर ने अपने प्रेजेन्टेशन में सबका ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि बिल धारा की धारा 82ए (5) के माध्यम से चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है कि वह किसी विधानसभा चुनाव को लोकसभा के चुनाव के साथ न कराने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकती है। जस्टिस खेहर ने कहा कि यह प्रावधान भेदकारी तथा अनियंत्रित मालूम पड़ता है क्योंकि वस्तुतः तो इस बाबत सरकार व संसद की भूमिका को अनदेखा किया गया प्रतीत होता है। पूर्व मुख्य जस्टिस रंजन गोगोई भी इस प्रावधान पर चिन्ता अभिव्यक्त कर चुके हैं। जस्टिस यू यू ललित ने भी कहा था कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' चरणबद्ध तरीके से कराये जाने चाहिये।

मनीष तिवारी ने जस्टिस खेहर व जस्टिस चन्द्रचूड़ के विचारों से असहमति अभिव्यक्त की और कहा कि विधान सभाओं के चुनाव जो असंगतियां हैं वे सब संविधान की ही देन है तथा यह भी कहा कि सभी विधान सभाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। श्री मनीष तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया कि केशवानंद भारतीय के निर्णय में यह उल्लेख है कि भारतीय लोकतंत्र संविधान के अनुच्छेदों द्वारा संचालित होता है अतः उनकी राय में यह व्यवहार संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है।

प्रियंका गांधी वाड्रा तथा कुछ अन्य सदस्यों का प्रश्न था कि अगर विधान सभा का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही उसे भंग कर दिया जाता है तो क्या वह संविधान सम्मत होगा?

इस प्रकार पक्ष व विपक्ष के कई सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और अपनी अपनी चिन्ताओं से जेपीसी को अवगत कराया। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि जेपीसी सभी की सुनवाई कर रहा है और जेपीसी इन विचारों पर मंथन करेगी। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। संशोधन द्वारा समाधान निकाला जा सकता है। वर्तमान आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन कर केन्द्र सरकार के अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सकता है। विधानसभा के कार्यकाल में जहां कटौती होती है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था को जन्म दिया जा सकता है। सदस्यों को होने वाले वेतन भत्तों का मुआवजा दिलाया जा सकता है। कई योजनाओं के काल को नई विधान सभा के कार्यकाल तक बढ़ाया जा सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये भारत में यशस्वी न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं, एडवोकेट्स व जूरिष्टों की कमी नहीं है, जब वे देश की सेवा में हैं तो फिर हम प्रत्येक विपत्ति, आपदा व समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। देश के ये लोग चाहे पक्ष के हों अथवा विपक्ष के, देशहित में देश के विकास और लोगों के उज्जवल भविष्य के लिये एक रहे हैं और एक रहेंगे। भारत, देश का नाम है जिसका अर्थ ही धर्म प्रधान है और धर्म को आचरण की शुद्धता के रूप में समझा गया है। यदि हम सब 141 करोड़ भारतीय संविधान में दिये गये मूल कर्त्तव्यों की पालना अनेकान्त भाव शुद्ध मन वचन और कर्म से करें तो देश को स्वर्ग बना सकते हैं।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि जेपीसी को क्या करना है और लोगों को क्या सुझाव देना है इस बाबत निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देंवे:-

(अ) एक साथ चुनाव हो सकें इस बाबत चुनाव का फ्रेमवर्क स्पष्ट करना, यदि सम्भव नहीं हो तो चरणों में चुनाव करने का मार्ग प्रशस्त करें।

(ब) संविधान संशोधन करते समय यह देखना कि चुनाव का चक्र बना रहे।

(स) एक वोटर लिस्ट बने व मतदाता आईडी को बनाने का सुझाव देना।

(द) सरकार ने आग्रह किया है कि पैनल समिति अपना कार्य शीघ्रता से प्रारम्भ करे और शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सुझावों के साथ भेज दे क्योंकि सरकार ने समय सीमा निर्धारित नहीं की है।

(य) संविधान संशोधन की प्रक्रिया को विधिवत अपनायें।

आइये, हम सब आलोचना को भुलाकर समीक्षा करें, नये नये सुझाव जेपीसी को भेजें और प्रतीक्षा करें, नई सुबह होगी। हमारा देश भारत संसार का नेतृत्व करेगा।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत॥

इसी कामना के साथ –
सबको सन्मति दे भगवान्।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

सरकारी स्कूलों का विलय : कारण, प्रभाव और चिंताएं

अशोक शर्मा

वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में स्कूलों को बंद करने और विलय करने की प्रक्रिया चल रही है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का रुझान बन गया है, जिसके पीछे कई कारण और तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं भी हैं।

मुख्य कारण जो बताए जा रहे हैं:

कम छात्र संख्या : यह सबसे बड़ा कारण है। कई सरकारी स्कूल, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, बहुत कम छात्रों के साथ चल रहे हैं। कुछ मामलों में तो शून्य छात्र संख्या वाले स्कूल भी पाए गए हैं (जैसा कि राजस्थान में देखा गया)। सरकार का तर्क है कि इन स्कूलों को बनाए रखना संसाधनों का अपव्यय है।

संसाधनों का बेहतर उपयोग: सरकार का मानना है कि छोटे-छोटे स्कूलों में बिखरे हुए शिक्षकों, कक्षाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को एक जगह लाकर उनका बेहतर और अधिक कुशल उपयोग किया जा सकता है। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

प्रशासनिक खर्चों में कमी : कम स्कूलों का प्रबंधन करना, उनका निरीक्षण और ऑडिट करना सरकार और शिक्षा विभाग के लिए आसान होता है, जिससे प्रशासनिक लागत कम होती है।

शिक्षकों का बेहतर उपयोग : जहां शिक्षकों की कमी है, वहां विलय के बाद शिक्षकों को उन स्कूलों में स्थानांतरित किया जा सकता है जहां छात्रों की संख्या अधिक है, जिससे शिक्षक-छात्र अनुपात बेहतर हो सकता है।

गुणवत्ता में सुधार का तर्क : तर्क दिया जाता है कि बड़े स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा, अधिक शिक्षण सामग्री, ई-लर्निंग सुविधाएं और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियां उपलब्ध होंगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

विभिन्न राज्यों में स्थिति और रुझान:

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में हाल ही में स्कूलों को बंद करने या विलय करने का निर्णय लिया गया है। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से कम है, उन्हें विलय किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्कूल एकीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि स्कूल एक किलोमीटर के भीतर ही स्थापित किया जाए।

राजस्थान: राजस्थान में भी शून्य छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद किया गया है और कुछ का विलय किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। प्रभावित छात्रों को लीड स्कूल में प्रवेश पर एकमुश्त सुविधा भत्ता भी प्रदान करने की बात कही गई है।

मध्य प्रदेश: पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। सरकार नामांकन में गिरावट को लेकर चिंतित है और कलेक्टरों को अनमैप किए गए विद्यार्थियों को फिर से स्कूलों में नामांकित करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा: हरियाणा भी उन राज्यों में से एक है जहां सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीतिगत प्रक्रिया लागू की गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर डेटा: संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में देश भर में 89,441 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, जिनमें से 61% यूपी और एमपी में हैं।

चिंताएं और नकारात्मक प्रभाव:

जैसा कि आपने अपनी पिछली प्रतिक्रिया में भी कहा था, यह प्रक्रिया कई गंभीर चिंताएं पैदा करती है:

शिक्षा तक पहुंच का संकट: खासकर ठामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, छोटे बच्चों को अब स्कूल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, जिससे ड्रॉपआउट दर बढ़ सकती है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6-14 वर्ष के बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराने के प्रावधान का उल्लंघन माना जा रहा है।

वंचित और गरीब बच्चों पर असर: जिन परिवारों के पास परिवहन के साधन नहीं हैं या जो अपने बच्चों को दूर नहीं भेज सकते, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकते हैं।

शिक्षकों की नौकरी और स्थानांतरण: स्कूलों के विलय से शिक्षकों के स्थानांतरण या यहां तक कि सरप्लस होने की समस्या भी सामने आती है।

सामुदायिक स्वामित्व का नुकसान: छोटे स्थानीय स्कूल अक्सर अपने समुदाय से गहराई से जुड़े होते हैं। उनके बंद होने से सामुदायिक भागीदारी कम हो सकती है।

गुणवत्ता सुधार की गारंटी नहीं: केवल स्कूलों को मिलाने से स्वचालित रूप से गुणवत्ता में सुधार नहीं होता। इसके लिए प्रभावी शिक्षण, पर्याप्त शिक्षक, अच्छा पाठ्यक्रम और सीखने के अनुकूल माहौल जैसी मूलभूत चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है।

संक्षेप में, स्कूलों को बंद करने और विलय करने की यह प्रक्रिया भारत में शिक्षा के परिदृश्य को बदल रही है। जबकि सरकार इसे संसाधनों के कुशल उपयोग और गुणवत्ता सुधार के रूप में देखती है, वहीं आलोचक इसे शिक्षा तक पहुंच में कमी और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए शिक्षा के अवसरों को कम करने के रूप में देखते हैं। इस नीति का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, यह देखने के लिए अभी समय लगेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण और बहस का विषय बना हुआ है।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 स्वच्छता रैंकिंग मे देशभर में डूंगरपुर अव्वल, जयपुर की रैंकिंग मे बड़ा सुधार

जयपुर नगर निगम ग्रेटर को देशभर में 16वीं रैंक मिली, वहीं नगर निगम हेरिटेज को 20वीं रैंक हासिल हुई

जयपुर/डूंगरपुर, (निसं)। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन 2.0 स्वच्छता रैंकिंग में डूंगरपुर, राजस्थान ने देशभर के नगरीय निकायों के बीच अव्वल स्थान प्राप्त किया है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण में जयपुर ने अपनी रैंकिंग में बड़ा सुधार किया है।

जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण के टॉप-20 शहरों में शामिल हुए हैं। नगर निगम ग्रेटर को देशभर में 16वीं रैंक मिली है। नगर निगम हेरिटेज को 20वीं रैंक हासिल हुई है। जयपुर के दोनों नगर निगम को 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में यह सम्मान मिला है। वहीं डूंगरपुर देशभर के 20 से 50 हजार की आबादी वाले शहरों की स्वच्छ सुपर लीग में शामिल हुआ है।

वहीं उदयपुर ने देश में 13 वां और राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार भरतपुर का देश में 141वां स्थान और प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ, डूंगरपुर ने सुपर स्वच्छता लीग में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है।

राजस्थान में स्वच्छ रैंकिंग की बात करें तो डूंगरपुर को प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। प्रदेश में प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का अवॉर्ड जयपुर नगर निगम ग्रेटर को दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का अवॉर्ड फंक्शन गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशभर में अवॉर्ड जीतने वाले शहरों के प्रतिनिधियों को अलग-अलग अवॉर्ड से नवाजा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने अवॉर्ड ग्रहण किया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किए। डूंगरपुर की ओर से यह अवार्ड लेने के लिए राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री झाबरसिंह खर्रा, डूंगरपुर के सभापति अमृतलाल कलासुआ और आयुक्त सांवरलाल अबासरा उपस्थित रहे। यह उपलब्धि डूंगरपुर के स्वच्छता प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली एक बड़ी पहचान है। 20 से 50 हजार की आबादी वाले निकायों के लिए यह पुरस्कार जो लगातार 3 साल से अव्वल आ रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 कुल 12500 अंक का था जिसमें दृश्य स्वच्छता, स्त्रोत पृथक्करण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिटीजन फीडबैक, स्वच्छता तक लोगों की पहुंच के कुल 5500 अंक थे। इसके अलावा इस वर्ष के नए विषय जैसे जल के पुनरुपयोग, स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देना, इको सिस्टम, सफाई कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के 4500 नंबर थे। इस वर्ष डूंगरपुर नगर निकाय ने ओडीएफ एवं जीएफ सी एक स्टार रैंकिंग प्राप्त की है साथ ही 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर टॉप 3 में प्रवेश किया है। साथ ही विगत 2 वर्षों से लगातार अव्वल आने के कारण डूंगरपुर को सुपर स्वछता लीग में प्रवेश किया हैं, अब डूंगरपुर का मुकाबला छोटे शहरों की श्रेणी शीर्ष शहरों से होगा।

दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को अवॉर्ड प्रदान किया।

- **उदयपुर ने देश में 13 वां और राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त किया, भरतपुर का देश में 141वां स्थान और प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया**
- **इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ डूंगरपुर ने सुपर स्वच्छता लीग में अपना स्थान सुनिश्चित किया**

प्रदेश के सेवारत शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रवृत्ति देगा

छात्रवृत्ति का उद्देश्य शिक्षकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना और आर्थिक मदद करना है

- **आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त, छात्रवृत्ति राशि पाठ्यक्रम के अनुसार प्रति सत्र होगी, छात्रवृत्ति की राशि पाठ्यक्रम के अनुसार 3000 से 7500 रुपए प्रति सत्र तक होगी**

अजमेर, (कासं)। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा राज्य के सेवारत शिक्षकों के बेटे-बेटियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। बोर्ड द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उच्च शिक्षा के लिए दिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र शिक्षक 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। छात्रवृत्ति का उद्देश्य शिक्षकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना और आर्थिक मदद करना है। छात्रवृत्ति की राशि पाठ्यक्रम के अनुसार 3000 से 7500 रुपए प्रति सत्र तक होगी।

इस योजना में वे शिक्षक पात्र होंगे जो पिछले पांच वर्षों से किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कार्यरत हैं और अजमेर बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कम से कम तीन बार परीक्षक के रूप में कर चुके हैं। छात्रवृत्ति की सुविधा केवल एक संतान के लिए ही दी जाएगी और शिक्षक की वार्षिक आय 14 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगी, नवीनीकरण के लिए अगले वर्ष फिर से नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन करना होगा। अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है।

यह छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम और पारिवारिक आय के आधार पर दी जाएगी। छात्रवृत्ति राशि पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जायेगी। कॉलेज, बीएसटीसी, आईटीआई, एलएलबी के लिए 3000, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, नर्सिंग, फार्मेसी हेतु 4500, बीएड व एमएड हेतु 6000 तथा मेडिकल आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, एमबीए, वेटनरी, आईआईटी, पीएचडी हेतु 7500 राशि प्रदान की जायेगी।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 18 जुलाई, 2025

सावन मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, अश्विनी नक्षत्र रात्रि 2:14 तक, सुकर्मा योग प्रातः 6:48 तक, बालव करण प्रातः 6:06 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-कर्क चन्द्रमा-मेष, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 2:14 तक है। आज बुध वक्री दिन 10:15 पर होगा।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 7:24 तक, लाभ-अमृत 7:24 से 10:51 तक, शुभ 12:33 से 2:14 तक, चर 5:33 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:48, सूर्यास्त 7:18

मेष

व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा।

वृष

घर-गृहस्थी के खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

मिथुन

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह

धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कन्या

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है।

तुला

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु

घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

मीन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।